

प्रेषक,

आलोक कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सू0प्रौ, सुराज एवं वि0प्रौ0 अनु0-03

देहरादून: दिनांक

अप्रैल, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में विभिन्न वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 3,52,11,000/- (तीन करोड़ बावन लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि ₹ 3,52,10,000/- (रु0 तीन करोड़ बावन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान में व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-06

लेखाशीर्षक-2062-सतर्कता

105-अन्य सतर्कता एजेंसियां

04-सेवा का अधिकार आयोग-00

(धनराशि ₹0 हजार में)

क्र0सं	मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित कुल बजट	अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	01 वेतन	10000	10000
02	02 मजदूरी	200	200
03	03 महंगाई भत्ता	5600	5600
04	04 यात्रा व्यय	400	400
05	06 अन्य भत्ते	1100	1100
06	07 मानदेय	10	10
07	08 पारिश्रमिक	9000	9000
08	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	400	400
09	10 प्रशिक्षण व्यय	200	200
10	11 अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	1500	1500
11	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	300	300
12	21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300	300
13	22 कार्यालय व्यय	1000	1000
14	24 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	400	400
15	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	500	500

I/203271/2024

16	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	800	800
17	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	700	700
18	28 कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	1	—
19	29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	2000	2000
20	30 आतिथ्य व्यय	100	100
21	40 मशीन उपकरण सज्जा एवं संचंत्र	200	200
22	42 अन्य विभागीय व्यय	100	100
23	51 अनुरक्षण	100	100
24	52 लघु निर्माण	300	300
	योग	3,52,11	3,52,10

(रु० तीन करोड़ बावन लाख दस हजार मात्र)

2— उपरोक्त विवरणानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:—

- (1) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 तथा तत्संबंधी निर्गत शासनादेशों में इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण मासिक समय सारिणी बनाकर व्यय की आवश्यकताओं के आकलन करके ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (3) व्यय करने से जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (4) व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (5) किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि बिना वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
- (6) प्रत्येक माह आवंटन एवं व्यय सम्बन्धी विवरण प्रपत्र सं०-बी०एम०-०८ एवं बी०एम०-१० निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) नियंत्रक अधिकारी के स्तर पर वित्तीय स्वीकृति का रजिस्टर रखा जायेगा। उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक धनराशि किसी भी दशा में न तो आहरित की जाय और न ही व्यय की जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय। यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।
- (8) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1/203271/2024

- (9) वित्तीय वर्ष समाप्ति पर धनराशि नियमानुसार समर्पित किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, किसी भी दशा में अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त समायोजन, व्यय, अतिरिक्त व्ययभार हेतु आरक्षित नहीं की जायेगी।
- (10) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक के अनुदान सं0-06 के लेखाशीर्षक-2062-00-105-04-00 सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- (11) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक हेतु धनराशि आवंटन सम्बन्धी अलॉटमेंट आई0डी0 S24040060001, दिनांक 03.04.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या:-E-71332/XXXIV(3)/24-20(01)2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-1 एवं 2।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मिनी जोशी)
अनु सचिव।